भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1840

जिसका उत्तर मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025/25 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

बीमा विनियमन ढांचे का सुदृढ़ीकरण

1840 डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सियोल सेंटर फॉर फाइनेंस एंड इनोवेशन, विश्व बैंक की फाइनेंस डिवीजन द्वारा जारी "एस्टैब्लिशिंग इफिशिएंट ऐंड इफेक्टिव इंश्योरेंस गारंटी स्कीम्स" शीर्षक वाली अध्ययन रिपोर्ट से संबंधित प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार बीमा क्षेत्र के विनियमन को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है; और

(ग) देश में बीमा क्षेत्र के विनियमन की बेहतरी के उद्देश्य से बेलीज एवं घाना सरकारों की सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने हेतु बेलीज एवं घाना सरकारों द्वारा बीमा विनियामक ढांचों के विधायी विश्लेषण के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): "कुशल और प्रभावी बीमा गारंटी योजनाओं की स्थापना" पर अध्ययन रिपोर्ट पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और बीमा क्षेत्र में जनता के विश्वास और स्थिरता को बनाए रखने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के आधार पर बीमा गारंटी योजनाओं (आईजीएस) के सृजन पर केन्द्रित है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) के अनुसार, भारत में बीमा कंपनियों के दिवालियापन को रोकने के लिए एक तंत्र मौजूद है, जिसमें न्यूनतम शोधन क्षमता मार्जिन का रख-रखाव करना, रिपोर्ट किए गए और साथ ही उपचित परंतु रिपोर्ट की गई देनदारियों/दावों के लिए पर्याप्त भंडार बनाए रखना और भविष्य के अनुमानित दावों के लिए भंडार शामिल हैं। इस प्रकार, इस संबंध में देश में शोधन क्षमता मानदंड, निवेश नियम और पॉलिसीधारक संरक्षण नियम लागू हैं।

(ख) और (ग): इरडा अधिनियम, 1999 का संशोधन बीमा कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों का एक भाग है जो सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप तैयार करते समय विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों और विनियामक अवसंरचना का विश्लेषण किया गया है।

*****